न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 80/2011
सीसीएमएस : 2011/00157

1. मृतक आशाराम पुत्र श्री स्व ज्ञानदास जाति बावरी साकिन 40 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
1/1 पंजाब कौर पुत्री स्व. आसाराम पत्नी गुरचरणसिंह जाति बावरी साकिन हाल 62 एफ श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
1/2 सरजीतकौर पुत्री स्व. आसाराम पत्नी जगसीरसिंह जाति बावरी साकिन हाल चक 43 जीजी तह. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. सन्तराम पुत्र श्री स्व ज्ञानदास जाति बावरी साकिन 40 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.
3. प्रेमसिंह श्री स्व ज्ञानदास जाति बावरी साकिन 40 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.

–:वादीगण

बनाम

1. बन्तासिंह पुत्र श्री ज्ञानदास जाति बावरी साकिन 6 जै.डब्ल्यू.एम. तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राज.।
2. रामप्यारी पुत्री ज्ञानदास पत्नी श्री भगवानसिंह जाति बावरी साकिन कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. मृतक मीरा पुत्री ज्ञानदास पत्नी अमरसिंह के जायज वारिसः–
3/1 हरीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति बावरी माता मीरादेवी साकिन 5 एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 08.06.2011

उपस्थितअधिवक्तागण
1. **श्री रणजीतसिंह सोनी अधिवक्ता वादी**
2. **श्री रणवीरसिंह बिश्नोई अधिवक्ता प्रति. सं. 1, 3/1**
3. **श्री सुभाषचन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता प्रति सं. 2**

–: निर्णय :– **दिनांक : 24.09.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं वादीगण एवम प्रतिवादीगण के पिता ज्ञानदास पुत्र वंजीराराम जाति बावरी साकिन 40 एनपी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके नाम से चक 40 एनपी में मु.नं. 20 पं.नं. 216/322 में कि.नं. 22–23–24 में 0.632 हैक्टयर भूमि व इसी प्रकार चक में 221/323 मु.नं. 28 कि.नं. 1 ता 14 में 3.189 है. भूमि नहरी वा 1 बीघा बारानी है। व इसी चक में मु.नं. 45 के कि.नं. 6 ता 10 में 1.265 है. बारानी भूमि व बगीचा बारानी का पं.नं. 227/338 मु.नं. 29 के कि.नं. 1 ता 25 बारानी में 6.325 है. चक श्यामगढ़ बारानी (59 एनपी) का प.नं. 226/340 मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325 है. भूमि इस प्रकार इन पांचों मुरबों में उक्त भूमि मृतक ज्ञानदास के नाम से है ज्ञानचंद पुत्र श्री वंजीरसिंह अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि का बंटवारनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 बंतासिंह के हक में दिनांक 15.09.1987 को रोबरू गवाहान बांटकर दी हुई है ओर हम वादीगण का मौका पर कब्जा काश्त है। बंटवारनामा पर पिता ज्ञानदास एवं वादीगण एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 के हस्ताक्षर /अगूंठा है। व बंटवारनामा आर्थ कमिशनर से प्रमाणित है। पिता द्वारा बंटवारनामा में वादी आशाराम व संतराम को आधा ... प्रकार आधा हिस्सा अपने पुत्र प्रेमसिह वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 बंतासिंह को आधा–आधा हिस्सा उक्त भूमि में दिया जो वादीगण व प्रतिवादीगण ... आपसी सहमति से अलग–अलग मुरबों मे अलग–अलग ... काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 15:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

(क)आशाराम के पास चक 40 एनपी का खसरा संख्या 221/323 मु.नं. 28 में कि.नं. 5 में 18 बिंस्वा, 7 में 10 बिस्वा, 8 मे 10 बिस्वा, 9 में 10 बिस्वा, 10 में 9 बिस्वा, व 11 में 10 बिस्वा, 12 सालम, 14 में 2 बिस्वा 13 सालम इस प्रकार इस मुरब्बा में उक्त भूमि आशाराम के कब्जा में है। व चक 40 एनपी के खसरा संख्या 216/322 मु.नं. 20 के कि.नं. 22 में 10 बिस्वा, 23 में 10 बिस्वा, 24/1 मे 5 बिस्वा भूमि है। इसी प्रकार इसी चक के मु.नं. 45 के कि.नं. 6 में 10 बिस्वा, 7 में 10 बिस्वा 8 में 10 बिस्वा, 9 में 10 बिस्वा, 10 में 10 बिस्वा कब्जा काश्त में है। चक श्यामगढ बारानी का मु.नं. 6 के खसरा संख्या 226/340 के कि.नं. 8 में 10 बिस्वा, 9 ता 12 सालम–सालम व कि.नं. 13 में 10 बिस्वा रकबा कब्जा काश्त में है और बंटवारा से लेकर आज तक इस भूमि पर काबिज है।

(ख) संतराम के पास चक 40 एनपी खसरा संख्या 221/323 मु.नं. 28 के किनं. 1 मे 3 बिस्वा इसी प्रकार श्यामगढ़ बारानी का मु.नं. 6 खसरा संख्या 226/340 कि.नं. 1 ता 7 में सालम सालम व कि.नं. 8 मे 10 बिस्वा व बगीचा बारानी का मु.नं. 29 खसरा संख्या 227/338 के कि.नं. 13 में 10 बिस्वा 14 ता 25 सालम–सालम इस प्रकार तीनों मुरब्बा में उपरोक्त रकबा संतराम वादी के कब्जा काश्त में है जो बंटवारानामा से लेकर आज तक काबिज है।

(ग) प्रेमसिंह के पासत चक 40 एनपी का खसरा संख्या 221/323 मु.नं. 28 कि.नं. 1 में 6 बिस्वा, 6 में 18 बिस्वा 2 सालम, 7 में 10 बिस्वा, 8 में 10 बिस्वा व इसी प्रकार इसी चक के मु.नं. 20 खसरा संख्या 216/322 में कि.नं. 23 में 8 बिस्वा, 24/1 में 5 बिस्वा इसी प्रकार इसी चक में मु.नं. 45 के कि.नं. 8 मे 5 बिस्वा, 9 में 10 बिस्वा कि.नं. 10 में 10 बिस्वा चक श्यामगढ बारानी का मु.नं. 6 के कि.नं. 18 मे 10 बिस्वा, 19 ता 22 सालम–सालम व 23 मे 10 बिस्वा इसी प्रकार चक बगीचा बारानी का मु.नं. 29 खसरा नं. 227/338 के कि.नं. 1–2 सालम सालम व 3–8 में 10–10 बिस्वा व 9 ता 12 सालम सालम व कि.नं. 13 मे 10 बिस्वा उपरोक्त रकबा प्रेमसिंह के कब्जा मे बंटवारनामा से लेकर आजतक काबिज है।

(घ) प्रतिवादी सं. 1 बंतासिंह के पास चक 40 एनपी मु.नं. 221/323 मु.नं. 28 के कि. नं. 9 में 10 बिस्वा, 10 में 9 बिस्वा, 1 में 4 बिस्वा, 4–3 सालम–सालम व इसी चक में मु.नं. 20 के कि नं. 22 में 10 बिस्वा, 23 में 2 बिस्वा जिसका खसरा न. 216/322 है। इसी चक 40 एनपी में मु.नं. 45 के कि.नं. 6 व 7 में प्रत्येक में 10 बिस्वा, 8 में 5 बिस्वा हैं व चक श्यामगढ़ बारानी (59एनपी) का मु.नं. 6 के खसरा नं. 226/340 के कि.नं. 13 में 10 बिस्वा, 14 ता 17 सालम–सालम कि.नं. 18 में 10 बिस्वा व 23 में 10 बिस्वा व कि.नं. 24–25 सालम–सालम व चक बगीचा बारानी का मु.नं. 29 पं.नं. 227/338 में कि.नं. 3 में 10 बिस्वा, 4 ता 7 सालम–सालम 8 में 10 बिस्वा इस प्रकार उपरोक्त मुरबा में जो रकबा है व बंतासिंह के पास बंटवारनामा से लेकर आज तक काबिज है। और उसी के कब्जा काश्त में है इस प्रकार वादीगण अपने पुराने पिता द्वारा बांटे गये उपरोक्त क,ख,ग,घ रकबा के मुताबिक काबिज है और उसी अनुसार अपना बंटवारानाम करवाना चाहते है व अपने हक व अधिकार की घोषणा करवाने के भी विधिक रूप हकदार है। क्योकि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता ने बाटंकर चारों को भूमि दे दी थी और अन्य किसी को उक्त भूमि में कोई हक नहीं रखा। यदि किसी अन्य को काई हक देना होता तो भूमि बांटकर देते। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुताबिक बंटवारनामा अपना हक घोषित करवाकर बंटवारनामा राजस्व रिकार्ड मे अलग–अलग किलाजात करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। दिनांक 29.11.2011 को वक्त करीबन 11 बजे प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा यह धमकी दी गई। कि मैं आपके किलाजात पर कब्जा करूगां व पुराना बंटवारनामा [illegible] वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। मौका पर गवाह [illegible] व कृष्णलाल आ गये जिन्होने बीच बचाव करके प्रतिवादी [illegible] यही विनाय मुखास्मत है। विवादित रकबा माननीय न्यायालय के क्षेत्र[illegible] में है इसलिए वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] वाद पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वादपत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। प्रतिवादी[illegible] संख्या 2 व 3 को पिता ने कोइ भूमि नहीं दी है। इसलिए इनका इस भूमि में कोई हक नहीं

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 40 एनपी का मु.नं. 28–20–45 व सी प्रकार श्यामगढ़ बारानी का मु.नं. 6 व बगीचा बारानी का मु.नं. 29 में 6.325 है0 मु.नं. 20 में 0.632 है. व मु.नं. 28 में 3.189 है. मु.नं. 45 में 1.265 है भूमि व यामगढ़ बारानी का मु.नं. 6 में 6.325 है. भूमि इस प्रकार कुल पांच मुरबों में कुल भूमि में वादीगण का हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का हिस्सा जो बंटवारानामा के मुताबिक कब्जाकाश्त में है जिसका विवरण वादपत्र के पेरा संख्या 3 के भाग क,ख,ग,घ के अनुसार दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री रणजीतसिह सोनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रति सं. 2–3 की तरफ से श्री रणवीरसिंह बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रति सं. 1 ता 3 के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित है कि तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 15.09.1987 से मृतक श्री ज्ञानदास ने मात्र अपने चारों पुत्रों मध्य उक्त कृषि भूमि के लिए आपसी विवाद एवं स्वयं के भरण–पोषण की वैकल्पिक व्यवस्था की थी जिस पर प्रतिवादी सं. 1 बन्तासिंह सहमत नहीं था, जिस पर बन्तासिंह के फर्जी एवं कुटरचित हस्ताक्षर करवा कर तहरीर तकमील करवाया गया जो प्रतिवादीगण के हितों पर निष्प्रभावी है। प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 मृतक ज्ञानदास के विधिक उतराधिकारी होने के कारण मृतक की उक्त कृषि भूमि में कानूनी पैतृक हक प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञानदास के मृतक पुत्र अमरसिंह के पुत्र गोविन्दसिंह को पक्षकार नहीं बनाया है। अतिरिक्त कथन एवं काउटर क्लेम के अंकित है। कि मृतक ज्ञानदास एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य सम्पन्न तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 15.09.1987 में मात्र मृतक ज्ञानदास के चारों पुत्रों में ही कृषि भूमि विभाजन किया गया है। मृतक श्री ज्ञानदास की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके जायज वारिस एवं कानूनी प्रतिनिधि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कुल सात वारिस है। इस प्रकार तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 15.09.1987 की विधिक सार्थकता नहीं है ऐसा दस्तावेज शुरू से ही शून्य, अवैध एवं प्रतिवादी गण के हितों पर निष्प्रभावी हैं। ईकरारनामा में भूमि का विभाजन मृतक श्री ज्ञानदास के चार वारिसों में किया है जबकि श्री ज्ञानदास के वारिस रामप्यारी एवं हरीसिंह भी है इस प्रकार इस ईकरारनामा से वादी एवं प्रविादी सं. 1 को किसी प्रकार से कोई कानूनी हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। मृतक ज्ञानदास की विवादित कृषि भूमि का सात हिस्सा में बराबर–बराबर बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। जिस तथाकथित ईकरारनामा के अनुक्रम में यह दावा श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस लिहाज से उक्त मामला सविदा एवं संविदा की अनुपालना का बनता है तिा संविदा की अनुपालना का दावा सुनने का अधिकार सिविल न्यायाधीश को है इस प्रकार उक्त ईकरारनामा की तज से दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं प्रतिवादीगण सं. 1 बन्तासिंह के कब्जाकाश्त मे चक 40 एनपी के मु.नं. 4 पं.नं. 222/326 के कि.नं. 6 में 0.127, कि.न. 7 में 0.126 तथा कि.नं. 8 में 0.063 है. कुल 0.316 है. तथा श्यामगढ बारानी के मु.न. 6 प.न. 226/340 के कि.न. 14–15–16–17–24–25 सालम तथा कि.न. 13–18–23 प्रत्येक में 0.126है. कुल 1.896 है. तथा बगीचा बारानी के मु.न. 29 प.न.227/338 के कि.न. 4–5–6–7 सालम–2 तथा कि.न. 3 –8 प्रत्येक में 0.126 है. कुल 1.265 है. पर काब्जि है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 के कब्जा काश्त में कोई कृषि भूमि नहीं हैं उनके पैतृक हक की कृषि भूमि पर वादीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है। प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का किले वाईज बटंवारा किया जाकर कब्जा दिलाया जावे। मृतक ज्ञानदास चक 40 एन पी के मु. न. 20 के 0.632 मु.न. 28 में 3.189 मु.न. 45 के 1. 126, कुल 5.086 है. तथा चक बगीचाबरानी के मु.न [illegible] 325है. तथा श्यामगढ बारानी के मु.न. 6 के 6.325 है. भूमिधारक करते थे [illegible] मृतक ज्ञानदास के कानूनी वारिस वादी आशाराम –सन्तराम –[illegible] तथा प्रतिवादी[illegible] सिंह, रामप्यारी एवं हरिसिहं, गोविन्द पुत्र अमर सिंह [illegible] वारिस के हिस्सा में श्यामगढ़ बारानी में 0.903 [illegible] तथा 40 एन पी में 0. 726 है. हिस्सा में कृषि भूमि आती है, जिसका भूमि [illegible] किस्मानुसार अच्छी में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

अच्छी एवं खराब में से खराब भूमि किले वाईज बंटवारा किया जावे। तदनुसार प्रतिवादी सं. 1–2–3 को कब्जा भी दिलाया जावे।

3. जबावदावा काऊण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी चाहे गये अनुतोषों को खारिज फरमाया जावे तथा भूमि का नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाकर मृतक ज्ञान दास के सातों वारिसों में प्रत्येक चक 40एनपी –श्यामगढ बारानी –बगीचा बारानी में बराबर बराबर बंटवारा किया जाकर कब्जा दिलाया जावे। तथा प्रतिवादी सं 2 एव 3 को वाद दायरी से निर्गित होने तक उनके हिस्से अनुशार चक 40 एन पी के 0.726 है. श्यामगढ बरानी व 0.903 है. तथा बगीचा बारानीकू 0.903 है. भूमि का ठेका राशि 5000/–प्रतिवर्ष

4. प्रति बीघा न्यायालय में जमा करवाये जाकर दिलाया जावे। तत्पश्चात् कब्जा दिलाया जावे तथा इसी आश्य की डिकी एवं आदेश जारी किया जावे।

5. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

1. आया कि विवादित भूमि चक 40 एन.पी. में मु.नं. 20 प.नं. 216/322 कि.नं. 22–23–24 के 0.632 है. व प.नं. 221/323 मु.नं. 28 की 3.189 है. नहरी व 1 बीघा बारानी व मु.नं. 45 की 1.265 है. बारानी व चक बगीचा बारानी का मु.नं. 29 प.नं. 227/338 के 6.325 है. बारानी गैरखातेदारी व चक श्यामगढ बारानी (59एनपी) के मु.नं. 6 प.नं. 226/340 के 6.325 है. ज्ञानदास पुत्र वजीरसिंह के नाम से दर्ज जिसकी मृत्यु हो चुकी है ? –:वादीगण
2. आया कि आया कि वादीगण के पिता ज्ञानचन्द्र ने अपनी भूमि विवादित का बंटवारनामा अपने जीवनकाल में दिनांक 15.09.1987 को अपने पुत्रों वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को बांट कर दे दिया था ओर मौका पर कब्जा भी दिया गया ? –: वादीगण
3. आया कि बंटवारनामा पर वादीगण व उनके पिता ज्ञानदास के हस्ताक्षर /अगूठे है ओर बंटवारानामा में चारों पुत्रों को बराबर का हिस्सा दिया ? –: वादीगण
4. आया कि वादीगण बंटवारानामा के आधार पर कब्जा के मुताबिक बंटवारनामा करवाना चाहते है व अपने हक व अधिकार की घोषणा करवाना चाहते है। अन्य कोई व्यक्ति हकदार नहीं है ? –: वादीगण
5. आया कि प्रतिवादी बन्तासिंह के बंटवारानामा पर फर्जी हस्ताक्षर / अगूठा है एवं वादी व प्रतिवादीगण सात वारिस है ? –: प्रतिवादी
6. आया कि ज्ञानदास के वारिस रामप्यारी एवं हरीसिंह भी हैं। जिसका इस भूमि में हक व अधिकार हैं ? –: प्रतिवादी
7. आया कि तथाकथित इकरारनामा दिनांक 15.09.2018 मृतक ज्ञानसिंह के चारों पुत्रों के मध्य आपसी विवाद एवं भरण–पोषण की वैकल्पिक व्यवस्था की थी एवं प्रतिवादी सं. 1 सहमत नहीं होने से बन्तासिंह के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर होने से उक्त दस्तावेज निष्प्रभावी है। ? –: प्रतिवादी
8. आया कि इकरारनामा संविदा की अनुपालना का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं होने से वाद खारिज योग्य है ? –: प्रतिवादी
9. आया कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कब्जा अनुसार भूमि का किले वाईज विभाजन कराने का अधिकारी है ? –: प्रतिवादी
10. आया कि प्रतिवादी सं. 2, 3 के हिस्से की भूमि का वादीगण अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी सं. 2, 3 पैतृक भूमि में से भूमि विभाजन कराने का अधिकारी है ? –: प्रतिवादी
11. अनुतोष।

6. साक्ष्य वादी हेतु वादी आशाराम पुत्र श्री [illegible] ने दिनांक [illegible].2019 को शपथ पत्र पेश किया। जिसमें ब्यान में अंकित किया कि [illegible] से जमीन की जमाबंदिया पेश की है जो प्रदर्श–पी–1 से पी–3 है। [illegible] बंटवारानामा पेश किया जिस पर अपने हस्ताक्षर किए एवं हमारे हस्ताक्षर अंगूठा करवाये। जो प्रदर्श पी–4 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 15:01:15 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें एक्स स्थान पर मेरा अंगूठा है। जिरह वकील प्रतिवादी में अंकित है ज्ञानदास मेरे पिता है हम चार भाई है व दो बहिने थी मेने मेरी बहनों व भान्जे को हिस्सा नहीं देने तथा उनकी कृषि भूमि को हड़पने के लिए न्यायालय में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। संतराम पुत्र श्री ज्ञानदास ने दिनांक 28.09.2019 को शपथ पत्र पेश किया। जिसमें ब्यान अंकित करवाये कि चक 40 एन.पी. संवत 2067–70 खाता सं. 25 मु.नं. 20–28–45 प्रदर्श–1 है। जमाबंदी संवत 2066–69 चक बगीचा बारानी खाता सं. 54 प्रदर्श–2 है। जमाबंदी संवत 2065–68 चक श्यामगढ बारानी खाता सं. 86 प्रदर्श–3 है। इकरारनामा बंटवारा जो मेरे पिता ज्ञानदास द्वारा हम चारों भाईयों मे हम में अपने जीवनकाल में अपने हस्ताक्षर करने एवं हमारे हस्ताक्षर करवाकर हमे जमीन दी गयी। इकरारनामा दिनांक 15.09.1987 प्रदर्श–4 है। जिस पर **A** से **B** सभी पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर है व **X** स्थान पर मेरे पिता ज्ञानदास का अंगूठा लगा है। व **C** से **D** प्रेमसिंह के हस्ताक्षर है। एवं **E** से **F** बंतासिंह के हस्ताक्षर है। इकरारनामा ओर्थ कमीशनर द्वारा सत्यापित है। उक्त ब्यान पर जिरह की गई जो शामिल मिसल रहे। जगजीतसिंह पुत्र सेवासिंह जाति बावरी साकिन 6 एनपी तहसील रायसिंहनगर ने दिनांक 28.08.2019 को शपथ पत्र पेश कर ब्यान अंकित करवाये कि जिरह में अवगत करवाया कि प्रर्दश सं. 4 पर मेरा अथवा मेरे पिता के हस्ताक्षर नहीं है। ब्यान शामिल मिसल किये गये।

7. प्रतिवादी की तरफ से साक्ष्य पेश करने के लिए दिनांक 08.0.2023 को रामप्यारी पुत्री ज्ञानदास पत्नी श्री भगवानदास जाति बावरी ने शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। इसी के साथ बन्तासिंह पुत्र ज्ञानदास जाति बावरी साकिन 6 जेडडब्ल्यूएम तहसील घड़साना ने शपथ पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। रामप्यरी पुत्री ज्ञानदास ने ब्यान प्रर्दश पी–4 इकरारनामा बंटवारा पेश किया । ब्यान शामिल मिसल किये गये।

8. प्रार्थी गोविन्द्राम पुत्र श्री अमरसिंह जाति बावरी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 01.09.2011 को दावा में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। गोविन्दराम अमरसिंह का पुत्र नही होकर बन्तासिंह का पुत्र है। प्रार्थी गोविन्दराम द्वारा अमरसिंह का पुत्र बनकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसकी ताईद अमरसिंह की पत्नी दलीपकौर द्वारा अपने तस्दीकशुद्वा शपथ पत्र से साबित होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी गोविन्दराम का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 29.04.2015 को खारिज किया गया। दिनांक 25.05.2022 को प्रार्थीगण पंजाबकौर–सरजीतकोर पुत्रीयान स्व. आसाराम जाति बावरी ने जरिये श्री रणजीतसिंह सोनी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी साथ फार्म नं. 3 के साथ संलग्न वारिस प्रमाण पत्र पेश किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दिनांक 21.11.2022 को संशोधित आवेदन शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 10.01.2023 को जरिये श्री रणजीतसिंह सोनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। जिससे प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने स्वीकार करने हेतु सहमति दी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया।

9. दिनांक 23.09.2024 को वादीगण की तरफ से अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसल की गई हमने अधिवक्तागण उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 13:01:15 IST
Reason: Self Attested

तनकीसंख्या (A) आया कि विवादित भूमि चक [illegible] में मु.नं. 20 प.नं. 216/322 कि.नं. 22–23–24 के 0.632 [illegible] है व प.नं. [illegible]323 मु.नं. 28 की 3.189 है. नहरी व 1 बीघा बारानी [illegible] है बारानी व चक बगीचा बारानी का मु.नं. 29 प.नं. 227/338 [illegible] है. बारानी गैरखातेदारी व चक श्यामगढ़ बारानी (59एनपी) के मु.नं. 6 प.नं. 226/340 के 6.325 ज्ञानदास पुत्र वजीरसिंह के नाम से दर्ज जिसकी मृत्यु हो चुकी है ? –:वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

... अनुसार भूमि ज्ञानदास ... भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा प्रस्तुत ... पुत्र वजीरसिंह के नाम से दर्ज है। ज्ञानदास की मृत्यु हो चुकी है जो संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकीसंख्या (B) आया कि आया कि वादीगण के पिता ज्ञानचन्द्र ने अपनी भूमि विवादित का बंटवारनामा अपने जीवनकाल में दिनांक 15.09.1987 को अपने पुत्रों वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 को बांट कर दे दिया था और मौका पर कब्जा भी दिया गया ? —: वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा जो दिनांक 15.09.1987 का है प्रदर्श पी–4 है। जो इकरारनामा (बंटवारा) है। जो नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हैं। उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। इकरारनामा (बंटवारा) प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादीगण ने अपने साक्ष्य में प्रदर्श–4 पर हुए हस्ताक्षरों व अगूंठा निशानी को दौराने साक्ष्य प्रमाणित नहीं किया है अतः ऐसी स्थिति में प्रदर्श–4 इकरारनामा साबित होना नहीं पाया जाता है किसी दस्तावेज के प्रदशित होने से उसको साबित होना नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे साबित नहीं करवाया गया हो। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि बंटवारनामा पर वादीगण व उनके पिता ज्ञानदास के हस्ताक्षर /अगूठे है और बंटवारानामा में चारों पुत्रों को बराबर का हिस्सा दिया ? —: वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली पर प्रस्तुत इकरारनामा (बंटवारा) मे ज्ञानदास व आशाराम की अगूंठा निशानी है तथा सन्तराम, प्रेमदास व बन्तासिंह के हस्ताक्षर है। बंटवारानामा के चारों पुत्रों को भूमि दी गई हैं। पुत्रियों को भूमि नहीं दी गई है। इसके अलावा बंटवारानामा पर लगे अगूंठा निशानी व हस्ताक्षरों को साबित नहीं करवाया गया है। क्योकि तनकी नं. 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्व किया जा चुका है अतः यह तनकी भी वादीगण विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादीगण बंटवारानामा के आधार पर कब्जा के मुताबिक बंटवारनामा करवाना चाहते है व अपने हक व अधिकार की घोषणा करवाना चाहते है। अन्य कोई व्यक्ति हकदार नहीं है ? —: वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण इकरारनामा (बंटवारा) के आधार पर व कब्जे के आधार पर अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है। इकरारनामा (बंटवारानामा) उप पंजीयक कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। ज्ञानदास की दो पुत्रियों रामप्यारी व मीरा (मृतक) हरीसिंह पुत्र मीरादेवी, द्वारा भी अपने हिस्से की मांग की है। इसलिए अन्य वारिस भी भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। बंटवारानामा में उल्लेखित चार पुत्र ही हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इस तनकी को सिद्व करने में वादीगण असफल रहे है इसलिए यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (E) आया कि प्रतिवादी बन्तासिंह के बंटवारानामा पर फर्जी हस्ताक्षर/अगूठा है एवं वादी व प्रतिवादीगण सात वारिस है ? —: प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था वादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा (बंटवारानामा) पर ज्ञानदास व आशाराम की अगूंठा निशानी है तथा संतराम, प्रेमदास, बन्तासिंह [illegible] ही बंटवारानामा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है दो गवाह [illegible] वल्द लालसिंह बावरी व करतारसिंह वल्द लालसिंह है [illegible] है इस संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है। ज्ञानदास के कुल सात वारिस 1. आशाराम, 2. सन्तराम, 3. प्रेमसिंह 4. बन्तासिंह 5. रामप्यारी, 6. मीरा, 7. अमरसिंह थें। जिनमें से अमरसिंह लाऔलाद [illegible] हो चुके है। यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

तनकी संख्या (F) आया कि तथा कथित इकरारनामा दिनांक 15.09.2018 मृतक ज्ञानसिंह के चारों पुत्रों के मध्य आपसी विवाद एवं भरण–पोषण की वैकल्पिक व्यवस्था की थी एवं प्रतिवादी सं. 1 सहमत नहीं होने से बन्तासिंह के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर होने से उक्त दस्तावेज निष्प्रभावी है। —: प्रतिवादी

इस तनकी का सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ज्ञानदास के कुल सात वारिस थे। 1. आशाराम, 2. सन्तराम, 3. प्रेमसिंह, 4. बन्तासिंह, 5. रामप्यारी, 6. मीरा, 7. अमरसिंह है। पांच पुत्र व दो पुत्रियां है। हरीसिंह ज्ञानदास की पुत्री मीरा के पुत्र हैं। मीरा फौत हो चुकी है। रामप्यारी व मीरा ज्ञानदास की पुत्रियां होने के कारण इनका भी हक व अधिकार है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (G) आया कि तथाकथित इकरारनामा दिनांक 15.09.2018 मृतक ज्ञानसिंह के चारों पुत्रों के मध्य आपसी विवाद एवं भरण–पोषण की वैकल्पिक व्यवस्था की थी एवं प्रतिवादी सं. 1 सहमत नहीं होने से बन्तासिंह के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर होने से उक्त दस्तावेज निष्प्रभावी है ? —:प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था इकरारनामा (बंटवारानामा) दिनांक 15.09.1987 ज्ञानदास व उसके चार पुत्रों के मध्य किया गया था। जिस पर ज्ञानदास व आसाराम की अगुंठा निशानी है तथा संतराम, प्रेमदास व बन्तासिंह के हस्ताक्षर है । वादी संतराम द्वारा अपने ब्यानों में स्वीकार किया है कि मेरे पिता ज्ञानदास द्वारा इकरारनामा (बंटवारानामा) जो प्रदर्श 4 है में यह दर्ज करवाया था कि अगर मेरे पुत्र मुझे परवरिश हेतु निश्चित राशि नहीं देगे तो कब्जा छोड़ने के लिए पावंद रहेगें तथा बगीचा बारानी की भूमि मु.नं. 29 कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.325 है. आज ही गैर खातेदारी है। इसलिए संभव है ज्ञानदास द्वारा भरण–पोषण की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु इकरारनामा (बंटवारानामा) किया है बंतासिंह के हस्ताक्षर फर्जी /कुटरचित हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया। इस तनकी को आंशिक रूप से ही प्रतिवादीगण सिद्ध कर पाये है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं

तनकी संख्या (H) आया कि इकरारनामा संविदा की अनुपालना का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं होने से वाद खारिज योग्य है ? —: प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के बंटवारानामा हेतु प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा (बंटवारा) जो दिनांक 15.09.1987 को किया गया है। इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने व सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं सिविल न्यायालय को है। यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (I) आया कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कब्जा अनुसार भूमि का किले वाईज विभाजन कराने का अधिकारी है ? —: प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर यह तथ्य अंकित किया गया है कि ज्ञानदास की मृत्यु हो जाने के पश्चात जायज वारिस व कानूनी प्रतिनिधि जो कुल 7 है उनके मध्य भूमि का विभाजन होना है तथाकथित इकररानामा दिनांक 15.091987 विधिक सार्थकर्ता नहीं है तथाकथित इकर[illegible] वारिसों के मध्य नहीं हुआ है तथा इकररानामा में जगह–जगह [illegible] गई है। मृतक ज्ञानदास के सात वारिस प्रारम्भ [illegible] साबित है त[illegible]वादी सं. 1 ता 3 का विवादित भूमि में बतौर कोप[illegible] है तथा प्रतिवादीगण अपने पैतृक हिस्सा [illegible] हिस्सा के अनुसार विभाजित करवाने के हकदार है अतः यह तनकी प्रतिवा[illegible]गण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 15:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

तनकी संख्या **(J)** आया कि प्रतिवादी सं. 2, 3 के हिस्सो की भूमि का वादीगण अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी सं. 2, 3 पैतृक भूमि में से भूमि विभाजन कराने का अधिकारी है ? –: प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का पैतृक हिस्सा होना साबित माना गया है तथा साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हिस्सा की भूमि पर वादीगण ने कब्जा कर रखा है प्रतिवादी सं. 2 व 3 अपने पैतृक हिस्सा की भूमि का कब्जा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित है और 2 ता 10 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंकिश रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मकआदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 53–88–92ए– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत काउंटर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार कर किया जाता है। इकरारनामा के आधार पर भूमि के अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देश दिये जाते है कि चक 40 एनपी में मु.नं. 20 पं. नं. 216/322 में कि.नं. 22–23–24 में 0.632 हैक्टयर भूमि व इसी प्रकार चक में 221/323 मु.नं. 28 कि.नं. 1 ता 14 में 3.189 है. भूमि नहरी वा 1 बीघा बारानी है। व इसी चक में मु.नं. 45 के कि.नं. 6 ता 10 में 1.265 है. बारानी भूमि व बगीचा बारानी का पं.नं. 227/338 मु.नं. 29 के कि.नं. 1 ता 25 बारानी में 6.325 है. चक श्यामगढ़ बारानी (59 एनपी) का प.नं. 226/340 मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 25 में 6. 325 है. भूमि इस प्रकार इन पांचों मुरबों में उक्त भूमि मृतक ज्ञानदास के नाम से है ज्ञानदास के विधिक वारिसों की जांच करके बहिस्सा बराबर–बराबर रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 24.09.20224 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 15:01:15 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner